

(1)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 47 / 12015

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 47 / 15

संस्थापन दिनांक-11.02.2015

फाईलिंग नंबर-230303001342015

अनिल पुरी आयु 54 साल पुत्र एम0एम0एल0 पुरी
संचालक एम0पी0 सिक्वोरिटी प्रा0 लि0
निवासी सी-96 आनंद निकतन दिल्ली

.....पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक

वि रु द्ध

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मालनपुर जिला भिण्ड

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

न्यायालय-श्री एस0के0 तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गोहद
जिला-भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-1457 / 13 ई0फौ0 में पारित आदेश
दिनांक 13.01.15 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

निगरानीकर्ता द्वारा श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अधिवक्ता ।

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक-49 / 2015

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक-49 / 2015

संस्थापन दिनांक 05.03.2015

फाईलिंग नंबर-230303001432015

अतुल शुक्ला पुत्र बालाप्रसाद उम्र 36 साल
सीनियर एक्जीक्यूटिव (एच0आर0)
कैडवरी इण्डिया लिमिटेड, मालनपुर
जिला भिण्ड म0प्र0

.....पुनरीक्षणकर्ता / आवेदक

वि रु द्ध

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, मालनपुर जिला भिण्ड

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्ता / अनावेदक

न्यायालय-श्री एस0के0 तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गोहद
जिला-भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-1457 / 13 ई0फौ0 में पारित आदेश
दिनांक 13.01.15 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

निगरानीकर्ता द्वारा श्री अरुण पटेरिया अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अधिवक्ता।

—::— आ दे श —::—

(आज दिनांक 08 जनवरी-2016 को पारित किया गया)

1. आवेदक/पुनरीक्षणकर्तागण अनिल पुरी व अतुल शुक्ला की ओर से उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री एस0के0 तिवारी द्वारा प्रकरण क्रमांक-1457/2013 ई0फौ0 में पारित आदेश दिनांक 13.01.15 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता अनिल पुरी पर धारा-419, 196 भा.द.वि. एवं प्राइवेट सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा-20 के तहत एवं निगरानीकर्ता अतुल शुक्ला पर धारा-419 एवं 196 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप लगाया गया है।
2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत है कि ए0पी0 सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड का सी0एम0डी0 आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता अनिल पुरी है तथा आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता अतुल शुक्ला कैडवरी इण्डिया लिमिटेड मालनपुर में सीनियर एक्जीक्यूटिव (एच0आर0) के पद पर कार्यरत है।
3. पुनरीक्षणकर्तागण की पुनरीक्षण याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना मालनपुर को एस0पी0 भिण्ड द्वारा दिनांक 18.09.13 को निजी सुरक्षा एजेन्सी जो कि फैक्ट्रियों में कार्यरत हैं, उनकी जांच करने एवं कार्यवाही करने हेतु पत्र प्राप्त हुआ था उसके तारतम्य में जांच करने पर कैडवरी इण्डिया लिमिटेड मालनपुर में सुरक्षा एजेन्सी के पास वैध लायसेन्स नहीं पाया गया। तथा गार्डों की सूची मांगी जाने पर अतुल शुक्ला ने 173 सुरक्षा गार्डों की सूची प्रदान की जिसके भौतिक सत्यापन में 98 सुरक्षा गार्ड कार्यरत पाये गये। जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध किया गया। तथा अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय में आरोपीगण ने इस आशय के दस्तावेज पेश किये कि उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपराध नहीं बनता है। अतः उन्हें उक्त अपराधों से डिस्चार्ज किया जावे। किन्तु न्यायालय ने उनके विरुद्ध उपरोक्त अपराधों के अंतर्गत आरोप विरचित किये हैं। तथा उन्होंने यह आधार लिया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक/पुनरीक्षणकर्तागण पर जिन दस्तावेजों के आधार पर आरोप की रचना की गई है वह राजनियम एवं पत्रावली के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य हैं। तथा ए0पी0 सिक्वोरिटी प्रा0लि0 म0प्र0 दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तारतम्य में दिनांक 09.02.11 को पंजीयन कर वर्ष 2015 तक वैध होकर प्रभावशील है। ए0पी0 सिक्वोरिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास निजी सुरक्षा एजेन्सी अधिनियम 2005 को ए0पी0सिक्वोरिटी प्रा0 लि0 को काम करने के लिये असाधारण पत्र गजट नोटिफिकेशन 24.03.07 को पारित किया गया है। तथा दिनांक 30.09.08 को लायसेन्स गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।
4. पुनरीक्षणकर्तागण ने यह भी आधार लिया है कि दिनांक 30.09.08 को ए0पी0 सिक्वोरिटी प्रा0लि0 के द्वारा एक आवेदन पत्र पेश किया गया जिसे नंबर-एफ-32/2008 सी-1 दिनांक 01.10.08 के द्वारा यह आदेश प्रदान किया गया था कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन के अंतिम निर्णय होने तक निगरानीकर्ता की कंपनी को यथावत कार्य संपन्न कराते रहने का आदेश दिया गया था

और यह भी आश्वासन दिया गया था कि आपके आवेदन पत्र का निराकरण यथाशीघ्र कर दिया जावेगा। किन्तु आज दिनांक तक म0प्र0 शासन के द्वारा उनके आवेदन का कोई निराकरण नहीं किया गया है। इस प्रकार म0प्र0 शासन गृह मंत्रालय द्वारा किया गया आदेश दिनांक 01 अक्टूबर-2008 वैध होकर प्रभावशील है। तथा उनकी कंपनी द्वारा समयानुसार फीस जमा की जाती रही है तथा कोई भी राशि बकाया नहीं है। तथा कंपनी के साथ हुए अनुबंध अनुसार सही व वैधानिक रूप से कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार निजी सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा-20 का कोई भी अपराध उनके विरुद्ध नहीं बन रहा है। अतः उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार के कोई आरोप नहीं बनते हैं। किन्तु इन बिन्दुओं पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। पारित आदेश अवैध तरीके से पारित कर दिया है, जो कि विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है, इसलिये पुनरीक्षणकर्तागण की याचिकाएँ स्वीकार की जाकर आरोप विरचना का आदेश दिनांक 13.01.2015 निरस्त किया जाये और उन्हें विरचित आरोपों से उन्मोचित किया जावे।

5. उपरोक्त पुनरीक्षण के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:-

1. क्या विद्वान जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री एस0के0 तिवारी द्वारा मूल प्रकरण क्रमांक 1457/2015 ई0फौ0 में दिनांक 13.01.2015 को पारित आदेश अवैध, अनुचित, या औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
2. क्या आरोपी/पुनरीक्षणकर्तागण विरचित आरोपों से उन्मोचित किये जाने योग्य हैं?

:- निष्कर्ष के आधार:-

नोट:- उपरोक्त दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं की विषय वस्तु एक ही होने से उनको समेकित करते हुए उनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

6. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ताओं ने अपने तर्कों में सार रूप में पुनरीक्षण याचिका में उठाये गये बिन्दुओं और लिये आधारों के अनुरूप तर्क करते हुए यह व्यक्त किया है कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी अनिल पुरी ए0पी0 सिक्थोरिटी कंपनी का सी0एम0डी0 है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है और वह मध्यप्रदेश सहित देश के सात राज्यों में विधि एवं प्रक्रिया का पालन करते हुए सिक्थोरिटी एजेन्सीज चलाता है तथा औद्योगिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुरक्षा गार्ड पूरे नियमों का पालन करते हुए तथा नियुक्त होने वाले सुरक्षा गार्डों की पूरी जांच पड़ताल करके उन्हें रखता है क्योंकि सुरक्षा में कोई कमी न रहे और कोई आपराधिक मानसिकता का व्यक्ति नियुक्त न हो जिसका उसने विधिवत मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत लायसेन्स प्राप्त करता रहा है तथा उसकी कंपनी ए0पी0 सिक्थोरिटी प्रा0 लि0 कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्टर्ड होकर सन् 1986 से कार्य कर रही है और म0प्र0 दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तारतम्य में दिनांक 09.02.11 को पंजीयन कर वर्ष 2015 तक के लिये वैध होकर प्रभावशील है तथा उनके द्वारा प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 का भी पालन किया जाता है जिसके तहत उसे गृह मंत्रालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 30.09.08 को लायसेन्स जारी किया गया है तथा उनके द्वारा आवेदन किये जाने पर दिनांक 01.10.08 को यह आदेश भी प्रदान किया गया था कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत उनके प्रस्तुत आवेदन पर अंतिम निर्णय होने तक वह यथावत कार्य करते रहे और उनके आवेदन का भी निराकरण नहीं हुआ है। इसलिये उनके द्वारा किया जा रहा कार्य उक्त आदेश दिनांक 01.10.08 के तहत वैध व प्रभावी है तथा कंपनी

की ओर से समय समय पर नियमानुसार फीस जमा की गई है। उनके द्वारा कैडवरी प्राइवेट लिमिटेड इण्डिया से दिनांक 01.04.12 को अनुबंध संपादित किया गया था जिसके तहत सुरक्षा गार्ड प्रदान किये गये हैं। इसलिये आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता अनिल पुरी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। और उनके विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला ही नहीं बनता है क्योंकि उनके द्वारा प्रतिरूपण द्वारा छल नहीं किया गया है न ही कोई गलत जानकारी तथ्यों को छुपाते हुए पुलिस को दी गई। न ही प्राइवेट सुरक्षा अधिनियम 2005 का कोई उल्लंघन किया गया है इसलिये विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश और विरचित आरोप प्रथम दृष्टया ही नहीं बनते हैं अतः उसे अपास्त कर पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी अनिल पुरी को सभी आरोपों से उन्मोचित किया जावे।

7. आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता अतुल शुक्ला की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसी तरह के तर्क करते हुए यह भी कहा है कि अतुल शुक्ला कैडवरी इण्डिया लिमिटेड मालनपुर जिला भिण्ड स्थित प्रतिष्ठान में सीनियर एक्जीक्यूटिव (एच0आर0) के पद पर कार्यरत है और उसके द्वारा पुलिस को सुरक्षा गार्डों की तैनाती के संबंध में चाही गई जानकारी पर संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई थी जो सुरक्षा गार्डों की सूची प्रदान की गई थी उसके साथ कैडवरी इण्डिया लिमिटेड और ए0पी0 सिक्वोरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मध्य हुए अनुबंध की प्रति, सुरक्षा गार्डों की स्थिति, उनके नाम, वल्लिदयत, पते, मोबाईल नंबर, आर्म्स लायसेन्स का विवरण था, वह प्रदान की गई थी जिसे पुलिस द्वारा असत्य पाया गया है। इसके अलावा वर्तमान में पदस्थ सुरक्षा गार्डों की भी स्थिति पुनः चाहे जाने पर दी गई थी। कोई भी जानकारी न तो छुपाई गई न असत्य दी गई और कैडवरी इण्डिया लिमिटेड के प्रतिनिधि के रूप में जानकारी दी गई थी इसलिये उनके विरुद्ध भी प्रतिरूपण द्वारा छल या मिथ्या रूप से जानकारी दिये जाने का कोई मामला प्रथम दृष्टया ही नहीं बनता है। किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने किसी भी तथ्य पर कोई न्यायिक रूप से विचार नहीं किया और अवैध तरीके से आरोपों की विरचना उसके विरुद्ध भी की गई है। इसलिये पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाकर दोनों पुनरीक्षणकर्तागण/आरोपीगण अनिल पुरी व अतुल शुक्ला को विरचित आरोपों से उन्मोचित किया जावे।

8. दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं के संबंध में विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा अपने तर्कों में खण्डन करते हुए मूलतः इस बिन्दु पर बल दिया है कि पुलिस मालनपुर द्वारा एस0पी0 भिण्ड के आदेश पर कि मालनपुर में फैक्ट्रीयों में निजी सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा नियुक्त सुरक्षा गार्डों के संबंध में जांच की जावे एवं कार्यवाही की जावे। इस संबंध में पत्र दिया गया था जिसके पालन में थाना मालनपुर द्वारा अन्य फैक्ट्रीयों के अलावा कैडवरी इण्डिया लिमिटेड की मालनपुर स्थित फैक्ट्री में संचालित ए0पी0 सुरक्षा एजेन्सी के द्वारा उपलब्ध कराये गये सुरक्षा गार्डों के संबंध में जांच की गई थी जिसमें ए0पी0 सुरक्षा एजेन्सी के पास कोई वैध लायसेन्स नहीं पाया था और जो गार्डों की स्थिति दी गई थी वह भी फैक्ट्री में पदस्थ एक्जीक्यूटिव (एच0आर0) अतुल शुक्ला द्वारा दी गई थी। जिसका भौतिक सत्यापन करने पर कम सुरक्षा गार्ड पाये गये थे जिससे अतुल शुक्ला द्वारा दी गई जानकारी जान-बूझकर गलत प्रदान करना पाया था और उस पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ था। आरोप के समय केवल यह देखा जाता है कि प्रथम दृष्टया कार्यवाही के लिये सामग्री पर्याप्त है या नहीं, दोषसिद्धि होगी या नहीं होगी। यह बिन्दु आरोप विचारण के प्रक्रम पर गौण है। पुनरीक्षणकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा पुनरीक्षण याचिकाओं के माध्यम से जो आधार लिये गये हैं तथा जो तर्क किये गये हैं, वे गुण-दोषों की विषय वस्तु है। इसलिये पुनरीक्षण याचिका सारहीन है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही की गई है इसलिये आरोपों और संबंधित आदेश को यथावत रखते हुए पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जावे।

9. खण्डन में पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि पुलिस मालनपुर कैडवरी फैक्ट्री से मुफ्त में या उपहारस्वरूप उत्पादित होने वाली चॉकलेटों की मांग करती है। जबकि उक्त कैडवरी कंपनी अमेरिका से संचालित होती है और उनके दिशा निर्देशों मुताबिक किसी भी तरह के उपहार प्रदान करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तथा यदि ऐसा किया जाता है तो फैक्ट्री पर बड़े भारी जुर्माने की व्यवस्था प्रबंधन द्वारा अधिरोपित की जा सकती है। इस कारण वे पुलिस की उपहार के संबंध में मांग का पालन करने में असमर्थ रहते हैं। इसी कारण पुलिस ने झूठा मामला बनाया है।

10. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख पुनरीक्षण याचिका में लिये गये आधार उठाये गये बिन्दु और प्रस्तुत दस्तावेजों को विचार में लेते हुए उनका अध्ययन किया गया। पुनरीक्षणकर्ताओं के द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जे0एम0एफ0सी0 गोहद श्री एस0के0 तिवारी के द्वारा दाण्डिक प्र0क0-1457/13 में दिनांक 13.01.15 को आरोप विरचित किये जाने संबंधी आदेश एवं आरोपी अनिल पुरी पर धारा-419, 196 भा0द0वि0 तथा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा-20 के अंतर्गत आरोप विरचित किया है तथा अतुल शुक्ला के विरुद्ध धारा-419 एवं 196 भा0द0वि0 के तहत आरोप विरचित कर विचारण किये जाने का आदेश किया गया है। आरोपी अनिल पुरी पर आरोप जरिये अभिभाषक विरचित किया गया है और जरिये अभिभाषक आरोप विरचित किये जाने के संबंध में स्वयं आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता अनिल पुरी की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया गया था। जरिये अभिभाषक आरोप विरचित किये जाने के संबंध में आरोपी की ओर से ही विचारण न्यायालय के समक्ष माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो न्याय दृष्टांत भी पेश किये गये थे जिन्हें विचार में लेते हुए जरिये अभिभाषक आरोप विरचित हुआ है।

11. धारा-419 भा0द0वि0 में प्रतिरूपण द्वारा छल के संबंध में दण्डाज्ञा का प्रावधान है। धारा-196 भा0द0वि0 में उस साक्ष्य को काम में लाने को अपराध बताया गया है जिसका मिथ्या होना ज्ञात हो तथा प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा-20 में उक्त विशेष अधिनियम में किये गये उपबंधों का उल्लंघन किये जाने पर दण्ड की व्यवस्था की गई है जो सभी आरोप जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं।

12. आरोप का उद्देश्य अभियुक्त को जिस मामले में उसे आरोपित किया गया है, उसके बारे में सूचना देना है और यह क्षेत्राधिकार को नहीं छूता है। यदि अभियुक्त को आवश्यक सूचना अन्य विधि से संसूचित हो जाती है और उसके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो आरोप की रचना को अमान्य नहीं किया जा सकता है। न्याय दृष्टांत **संतोषी कुमारी विरुद्ध स्टेट ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर (2011) वोल्यूम-9 एस0सी0सी0 पेज-234** में यह प्रतिपादित किया गया है कि आरोप के शब्दों का तकनीकी फॉर्मूला नहीं होता है। वास्तव में मामला जिसके लिये अभियुक्त का विचारण हो रहा है, उसकी समझ में आ जाना चाहिए। विचाराधीन मामला पुलिस रिपोर्ट पर आधारित है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के परिशीलनसे यह विदित होता है कि पुलिस थाना मालनपुर के पदस्थ पुलिस अधिकारियों के द्वारा निजी लालसा के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति न होने के तारतम्य में कार्यवाही नहीं की गई है। बल्कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड से इस आशय का पत्र प्राप्त होने पर कि मालनपुर में निजी सुरक्षा एजेन्सियाँ जो संचालित हैं, उनकी जांच की जावे और कार्यवाही की जावे। उसके संदर्भ में कैडवरी इण्डिया लिमिटेड मालनपुर में ए0पी0 सिक्वोरिटीज के द्वारा नियुक्त सुरक्षा गार्डों के संबंध में पत्राचार करके जांच की गई थी। इस जांच में यह पाया गया था कि ए0पी0 सिक्वोरिटीज के पास लायसेन्स नहीं है तथा सुरक्षा गार्डों की जो जानकारी मांगी गई थी उसे अतुल शुक्ला सीनियर एक्जीक्यूटिव (एच0आर0) अतुल शुक्ला के विरुद्ध

अप0क0-238/13 धारा-419, 196 भा0द0वि0 एवं प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 की धारा-20 के तहत मामला संज्ञेय अपराध होने से पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लेते हुए वाद अनुसंधान अभियोग पत्र उक्त दोनों के विरुद्ध सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। जहाँ जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय द्वारा दोनों के विरुद्ध प्रश्नगत आरोप विरचित करते हुए विचारण की कार्यवाही अग्रसर की गई है।

13. आरोप विचारण के संबंध में यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि आरोप लगाते समय विचारण न्यायालय को यह देखना चाहिए कि जो सामग्री पेश की गई है वह अग्रिम कार्यवाही के लिये पर्याप्त है या नहीं। उस समय यह नहीं देखा जाना है कि दोषसिद्धि होगी या नहीं होगी। जैसा कि न्याय दृष्टांत **सुरेश उर्फ पप्पू भुंजरमल करानी विरुद्ध स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2001) वोल्यूम-3 एस0सी0सी0 पेज-703** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। तथा न्याय दृष्टांत **भारत पारिख विरुद्ध सी0बी0आई0 (2008) वोल्यूम-10 एस0सी0सी0 पेज-109** में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शित किया गया है कि आरोप विरचित करते समय अभियुक्त के विरुद्ध केवल अभियोजन की सामग्री तक ही सीमित रहता है। इस स्टेज पर कोई लंबी जांच या मिनि ट्रायल संचालित करना अनुमत नहीं है। अर्थात् पुनरीक्षण याचिका के साथ आरोपी/पुनरीक्षणकर्ताओं के द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये हैं वे बचाव का आधार तो हो सकते हैं किन्तु आरोप विरचित करते समय उन्हें विचार में नहीं लिया जा सकता है और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी न्याय दृष्टांत **बसंत कुमार रावत विरुद्ध स्टेट ऑफ एम0पी0 आई0एल0आर0(2013) एम0पी0 पेज-950 डी0बी0** में द0प्र0सं0 की धारा-211 के संबंध में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आरोप विरचित करते समय अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जा सकता है। मात्र आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आरोप विरचित किये जाने चाहिए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **ओंकारनाथ मिश्रा विरुद्ध स्टेट (2008) वोल्यूम-2 एस0सी0सी0 पेज-561** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आरोप विरचित करते समय केवल यह देखना होता है कि जो सामग्री अभियोजन ने प्रस्तुत की है उससे अभियुक्त का अपराध करना प्रथम दृष्ट्या प्रतीत होता है। इस प्रक्रम पर साक्ष्य की **provative value** (साक्ष्य की प्रमाणिकता) नहीं देखनी होती है। तथा न्याय दृष्टांत **सांघी ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड विरुद्ध संजय चौधरी (2008) वोल्यूम-10 एस0सी0सी0 पेज-681** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियुक्त के अपराध में लिप्त होने के बारे में मजबूत संदेह प्रथम दृष्ट्या आरोप विरचित करते समय प्रकट होना पर्याप्त होता है। इस प्रक्रम पर दोषसिद्धि के बारे में कोई राय देना आवश्यक नहीं होता है।

14. वर्तमान मामले में पुलिस द्वारा यह स्पष्ट आक्षेप किया गया है कि ए0पी0 सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड पर निजी सुरक्षा एजेन्सी संबंधी लायसेन्स नहीं पाया गया। तथा सुरक्षा गार्डों की जो जानकारी दी गई वह भी असत्य पाई गई है। इन आक्षेपों का प्रमाण भार अभियोजन पर ही है और अभियोजन ने अपराध दर्ज करने के पूर्व जांच भी की थी। ऐसी स्थिति में जो दस्तावेज पुनरीक्षण याचिका के साथ पेश किये गये हैं वह बचाव के आधार के रूप में ही उपयोग में लाये जा सकते हैं आरोप के स्तर पर उन्हें नहीं देखा जा सकता है। और जो जानकारी ए0पी0 सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड की ओर से अनिल पुरी द्वारा दी जानी चाहिए थी उसे अतुल शुक्ला द्वारा दिया गया है तथा सुरक्षा गार्डों की सूची भी प्रथम दृष्ट्या सही न दी जाना पाते हुए अपराध को संज्ञान में लिया गया है। ऐसी स्थिति में पुनरीक्षण याचिकाओं में जो आधार लिये गये हैं। तथा जो तथ्य बताये गये हैं वे स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होते हैं। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरचित आरोप खण्डित किये जाने योग्य

(7)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 47 / 12015

प्रतीत नहीं होते हैं। फलतः पुनरीक्षण याचिकाएँ सारहीन मानते हुए उन्हें निरस्त किया जाता है तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के विरचित आरोप एवं आरोप संबंधी आदेश दिनांक 13.01.15 को स्थिर रखा जाता है।

15. अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भेजा जावे कि प्रकरण का शीघ्र विचारण विधि की प्रक्रिया के तहत किया जावे।

दिनांक **08.01.16**

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी0सी0 आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)